महिला सशक्तिकरण में शासकीय परियोजनाओं का उन्मूलन (इंदौर संभाग के विशेष संदर्भ में)

ललित चौहान[1], डॉ. बसंती मैथ्यू मरलिन[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

[2]विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

I शोध का परिचय

भारतवर्ष में प्राचिनकाल से ही महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया हैं। भारतवर्ष को भारत माता की संज्ञा दी गई हैं नौ रात्री पर्व को स्त्रियों के गौरव का प्रतीक माना गया हैं। भारत के लगभग सभी त्यौहारों पर मा दुर्गा मॉ सरस्वती की पूजा की जाती हैं। परंतु वास्तव में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई हैं। इसी दयनीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अनेक सामाजिक व शासकीय प्रयास प्रारंभ किए गए व निरन्तर जारी हैं।

महिलाओं की गरिमा प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमारे देश में आजतक बहुत से विधान बने हैं, परन्तु महिलाओं की स्थिति में अपेक्षकृत सुधार अभी भी कम ही हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को समानता का स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया हैं। देश के विकास के लिए महिला को सशक्त किया जाना अत्यधिक आवश्यक हैं। महिलाओं को जागरूक व सशक्त बनाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता हैं। सशक्त समाज ही देश को मजबूत बना सकता हैं।

महिलाओं के उन्मूलन से तात्पर्य हैं। शिक्षा और स्वतंत्रता का समान अधिकार दिलाते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर, राजनैतिक और आर्थिक निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधिकार आदि मुद्दों को समाहित किया जाना हैं। महिलाएं जब तक स्वयं अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को नहीं पहचानेगी तब तक किसी भी प्रकार की शासकीय योजनाए महिलाओं की दशा में कोई सुधार नहीं कर सकती। महिलाओं द्वारा अपनी आन्तरीक शक्ति पहचान कर स्वयं उनके द्वारा ही उनकी दशा में परिवर्तन किया जा सकता हैं।

महिला उन्मूलन की प्रथम महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं को देश के विकास में भागीदार बनाकर ही संभव हैं। महिला उन्मूलन की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता हैं। महिलाओं के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दिया जाता हैं परन्तु उन्हें उनके योगदान का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पाता हैं। इस हेतु महिलाओं को शिक्षित करने के साथ ही प्रतिक्षित करना भी आवश्यक हैं, जिससे वे लघु एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने में सक्षम हो।

हमारा भारत गॉवों का देश हैं। देश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करती हैं इसलिए स्वाभाविक हैं कि देश की लगभग 50 प्रतिशत महिलाऐं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। महिलाओं के शोषण एवं उत्पीडन को रोकने के लिए आवश्यक हैं कि उनका बहुमूखी विकास किया जाए एवं निर्णय प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी को बढाया जाए। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेतहर बनाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न रोजगार एवं वित्तीय योजनाओं द्वारा प्रयास किये गये हैं। महिला समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना जैसे कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना तथा अकाल राहत कार्यो में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के विशेष प्रयास किये गये।

II शोध का औचित्य

(क) शोध का चयन :–

शासकीय योजनाऐं सेवा प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र हैं, जो महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के विकास में योगदान तो प्रदान करता ही हैं, साथ ही साथ महिलाओं के हृदय में परस्पर सहयोग, समन्वयता और मिल–जुलकर कार्य करने की प्रेरणा भी देता हैं। वाणिज्य विषय से संबंधित होने के कारण स्वयं ही जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं, कि महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा कौन–कौन सी नवीन योजनाए शुरू की जा रही हैं। इसलिए मेरे द्वारा **"मध्यप्रदेश शासन का सरकारी योजनाओं द्वारा महिला उन्मूलन में योगदान"** लिया गया हैं।

(ख) शोध का औचित्य :–

महिलाओं को उचित स्थान प्रदान कराने हेतु शासन द्वारा अनेक प्रयास किये जाते हैं, और इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर महिलाओं के उन्मूलन हेतु विभिन्न योजनाऍ प्रारंभ की गई हैं। इस अध्ययन का औचित्य यह ज्ञात करना है की योजनाओं का महिलाओं की आर्थिक स्थिति की दशा सुधारने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा कौन कौन सी योजनाऍ चलाई जा रही हैं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजनाओं का कियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा हैं एवं योजनाऐं किस रूप में उपयोग एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

III उद्धेश्य तथा विधि

(क) शोध का उद्धेश्य :–

प्रत्येक कार्य की शुरूआत किसी विशेष उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए होती हैं। किसी भी कार्य को करते समय उसका उद्धेश्य निश्चित होना चाहिए। क्योंकि बिना उद्धेश्य के कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो सकता हैं।

(i) उद्धेश्य महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं का उनपर क्या व कितना प्रभाव होता हैं से संबंधित समस्त जानकारियॉ एकत्रित करना
(ii) महिला सशक्तिकरण में शासकीय योजनाओं का योगदान प्रभाव एवं महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्धेश्य हैं।

(ख) शोध अध्ययन की परिकल्पना :–

प्रस्तुत शोध प्रबंध में निम्नलिखित परिकल्पनाऍं हैं:–

(i) सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप महिला सशक्तिकरण योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा हैं।
(ii) महिलाओं के राजगार अवसरों में वृद्धि तथा उनका जीवन स्तर में महिला सशक्तिकरण योजनाओं द्वारा सुधार हुआ हैं।

(ग) शोध विधि :–

किसी भी शोध या अनुसंधान को पूर्ण करने के लिए समंकों की आवश्यकता होती हैं। कोई भी शोध कार्य समंकों के बिना संभव नहीं हैं क्योंकि समंक ही विश्लेषण का आधार होते हैं। किसी भी शोध की पहली आवश्यकता समक संग्रह हैं। **"मध्यप्रदेश शासन का सरकारी योजनाओं द्वारा महिला उन्मूलन में योगदान"** के अंतर्गत योजनाओं की प्राप्त जानकारी के आधार पर अध्ययन किया गया हैं। प्रस्तावित शोध प्रबंध प्राथमिक व द्वितीयक समंकों पर आधारित है।

(i) योजना से संबंधित रिपोर्ट।
(ii) प्रकाशित पत्र–पत्रिकाए।

प्रस्तावित शोध का क्षेत्र मध्य प्रदेश का इंदौर जिला हैं।

IV समीक्षा

केन्द्र तथा राज्य शासन ने महिला उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किये जिनके द्वारा महिला कल्याण संभव हो सकें। अतः विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के कल्याण हेतु प्रवधान किए गए हैं। महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों से महिलाओं की परम्परागत छवि को तोडने या बदलने में सहायता मिली हैं। भारत सरकार व केन्द्रीय सरकार के समान ही मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई शासकीय प्रयास किए हैं व कई योजनाएं प्रारंभ भी की हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:–

(क) आंगनवाडी योजना
(ख) लाडली लक्ष्मी योजना
(ग) गांव की बेटी योजना
(घ) प्रतिभा किरण योजना
(च) ग्राम्या योजना
(छ) उषा किरण योजना
(ज) समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
(झ) तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना
(ट) स्वाधार आदि।

उपर्युक्त योजनाओं का उद्धेश्य आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं और साथ ही साथ बालिकाओं का कल्याण करना हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त महिलाओं के उन्मूलन में शासन द्वारा समय–समय पर संशोधान कर महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया हैं।

परियोजनाऍं				
कमांक	**संभाग**	**जिला**	**स्वीकृत**	**अस्वीकृत**
1	इन्दौर	अलीराजपुर	2228	0
2	इन्दौर	बडवानी	1784	0
3	इन्दौर	बूरहानपुर	815	0
4	इन्दौर	धार	3858	0
5	इन्दौर	इन्दौर	1839	0
6	इन्दौर	झाबुआ	2706	0
7	इन्दौर	खंडवा	1682	0
8	इन्दौर	खरगोन	2294	0
		कुल	17206	0

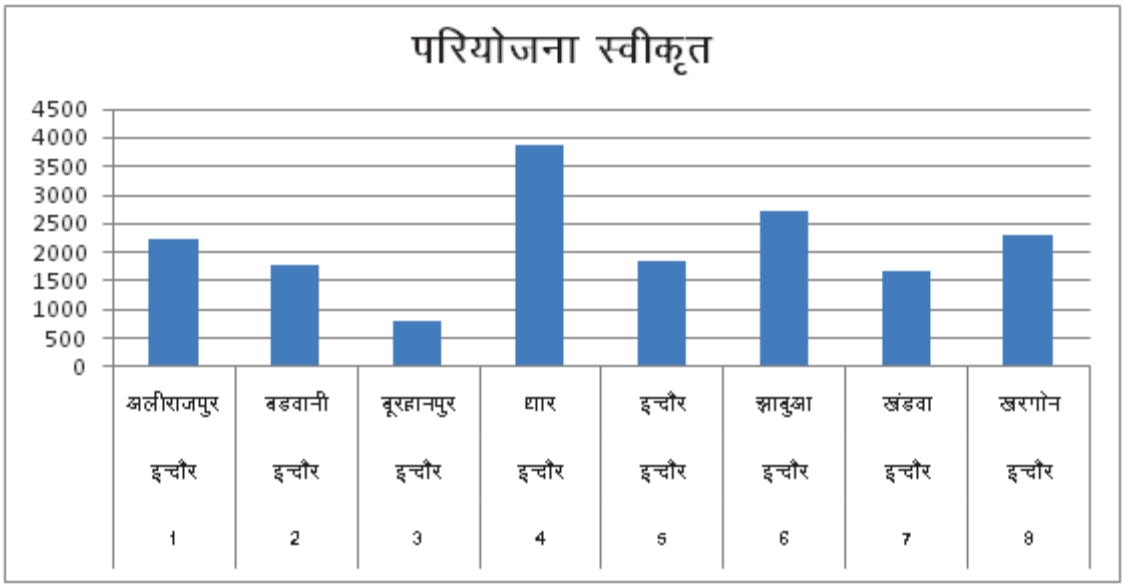

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इंदौर संभाग के धार जिले में सर्वाधिक 3858 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं एवं बुरहानपुर जिले में सबसे कम 815 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इंदौर संभाग के कुल आठ जिलों में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत कुल 17206 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया हैं एवं सभी जिलों में किसी भी परियोजना को अस्वीकृत नहीं किया गया हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि मध्यप्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का विशेष लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा हैं एवं यह महिलाओं के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

V निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं द्वारा महिलाओं कि आर्थिक, सामाजिक ओर मनोदशा की स्थिति में सुधार के प्रयास तीव्र गति से चलाए जा रहे हैं। किंतु महिलाओं का विकास तब तक संभव नहीं हैं जब तक वे स्वयं अपनी दशा सुधारने के लिए दृढबंध्य नहीं होंगी। महिलाओं को अपनी शक्ति की पहचान स्वयं करनी होगी क्योंकि शासन महिला उन्मुलन की योजनाएँ संचालित कर सकती हैं किन्तु इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा उन्हें अपने अधिकारों को समझना होगा साथ ही अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। तभी शासन के द्वारा चलाए जा रहें महिला उन्मूलन जैसे कार्यक्रम का उद्धेश्य पूर्ण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] मध्य प्रदेश पर्यावरण – पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल

[2] सांख्यिकी पुस्तक (वार्षिक) – जिला सांख्यिकी कार्यालय, इन्दौर।

[3] दैनिक समाचार – पत्र

[4] दैनिक जागरण – इन्दौर, भोपाल

[5] नवभारत – इन्दौर

[6] दैनिक भास्कर – इन्दौर

[7] राज एक्सप्रेस – इन्दौर

[8] http://mpgramodyogglobal.gov.in

[9] pmjdy.gov.in

[10] governmentschemesindia.com